कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक :
OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS
नं. 1 स्टाफ रोड, सिकंदराबाद -500 009
NO.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD – 500 009.
फोन/:PHONE: 040-27843385 फैक्स/FAX NO:040-27817275

No: PayTech/4058/Circular/IT/2023-24 Date: 26.09.2023

IMPORTANT CIRCULAR

(INCOME TAX for FY – 2023-24)

To,
The PAY Sections (LOCAL) ,
AAO (Army) Visakhapatnam,
All AAO/AO - AGE/GE's Offices and
All Units located at Secunderabad/ Visakhapatnam
Eddumailaram/Suryalanka under
CDA Secunderabad.

Subject: Deduction of Income tax and Submission of IT Statements. For Financial Year 2023-24

****

Attention is drawn to the section- 115BAC, Income-tax Act, 1961-2020, under which a taxpayer has option for choosing from two types of Income Tax regime w.e.f 01.04.2020 ie., OLD or NEW.

1. The Old tax regime will continue to take in to all exemptions as applicable up to F.Y 2023-24.
2. The New tax regime does not take into account any type of exemptions and IT will be calculated on Gross Salary.
3. Please note that the default regime is 'NEW REGIME', if no option is chosen.
4. The option once exercised will be final up to the end of Financial Year ending 31.03.2024 (pay bill month 02/2024).

All the officers and staff are hereby requested to exercise their option quoting **'Old'/ 'New'** and submit **IT statements** for **Financial Year: 2023-24 on or before 31.10.2023** to concerned Pay sections of this office/concerned Pay Accounts Office for scrutiny and further necessary action .

An employee opting for Old Tax regime should enclose all copies of Income Tax savings (like Rent Receipt, LIC Premium receipts, PPF Receipts, Provisional Payment certificate for Home Loan , Tuition Fee Receipts etc) duly self attested by the employee concerned specifying the Name, Personnel number, PAN No. and Office/unit.

It may please be noted that in the event of non enclosure of proof of savings along with IT statements, the Income Tax shall be calculated with reference to the Pay details available in the concerned PAO/shown in the IT Statements and recovery of Income Tax will be calculated accordingly and intimated to your office for initiation of recovery in the Pay of employees concerned.

26/9/23

Sr.Accounts Officer (Pay Tech)

Copy to:
The IT Section (Local) :- For uploading in the website please.

Sd/-

Sr.Accounts Officer (Pay Tech)

कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद - 009
OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS
No.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500009
दूरभाष/TELE: 040-27843385 फैक्स/FAX:040-27817275

सं: PayTech/4058/Circular/IT/2023-24 दिनांक: 26.09.2023

(महत्वपूर्ण परिपत्र)
(वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर)

सेवा में,

वेतन अनुभाग(स्थानीय)
क्षेत्रीय लेखा कार्यालय(थलसेना) वैजाग,
सभी स.ले.अ/ले.अ- स.जी.ई/जी.ई कार्यालय और
र.ले.नि., सिकंदराबाद के अधीन सिकंदराबाद/वैजाग/
यद्दुमैलारम/सूर्यलंका में स्थित सभी इकाईयाँ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आय कर की कटौती एवं आय कर विवरणी प्रस्तुत किया जाना।

@@@@@

आय कर अधिनियम, 1961-2020 की धारा 115 बी ए सी, के अधीन करदाताओं के पास प्रभावी तारीख 01.04.2020 से पुराने या नये दो प्रकार की आयकर व्यवस्था में से किसी एक को चुनने का विकल्प है।

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 तक लागू सभी छूटें पुरानी कर व्यवस्था में लागू रहेंगी।
2. नई कर व्यवस्था में किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी तथा आय कर का परिकलन सकल वेतन पर किया जाएगा।
3. यदि कोई विकल्प नहीं चुना जाए तो डिफॉल्ट व्यवस्था " नई व्यवस्था" होगी।
4. दिनांक 31.03.2024 (वेतन बिल माह 02/2024) को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अंत तक एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।

सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे 'पुराना'/'नया' अंकित करते हुए अपने विकल्प का प्रयोग करें और आगे की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दिनांक 31.10.2023 तक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर विवरणी इस कार्यालय के /संबंधित वेतन लेखा कार्यालय के वेतन अनुभाग में जमा करें।

पुरानी कर व्यवस्था चुनने वाले कर्मचारी को आयकर बचत की सभी प्रतियां (जैसे किराया रसीद, भारतीय जीवन बीमा प्रिमियम रसीद, पी.पी.एफ रसीदें, गृह ऋण के लिए अनंतिम भुगतान प्रमाण पत्र, शिक्षा शुल्क रसीदें आदि) नाम, लेखा सं., स्थायी खाता संख्या (PAN) एवं कार्यालय/इकाई निदिर्ष्ट करते हुए विधिवत कर्मचारी द्वारा स्वप्रमाणित करके संलग्न करनी होगी।

कृपया ध्यान दें कि आयकर विवरणी के साथ बचत प्रमाण संलग्न न करने की स्थिति में, आयकर का परिकलन संबंधित वे.ले.का में उपलब्ध वेतन विवरणों / दिखाए गए आयकर विवरण के अनुसार करने के उपरांत आयकर की वसूली की सूचना आपके कार्यालय को दी जाएगी ताकि संबंधित कर्मचारियों के वेतन में वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।

श्री अनुराधा
26/9/23

वरिष्ठ लेखा अधिकारी(वेतन तकनीकी)

प्रतिलिपि:

आई.टी. अनुभाग, स्थानीय - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

अस्ता

वरिष्ठ लेखा अधिकारी(वेतन तकनीकी)